ance and make recommendations thereon by the 30th November, 1965; and

(ii) that this House recommends to the Rajya Sabha to agree to associate 6 members from the Rajya Sabha with the Committee and to communicate the names of the members so appointed to this House.".

The Resolution was adopted.

15.03 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): Sir, on behalf of Shri A. K. Sen, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration.".

This is a simple and non-controversial Bill. Under article 171 (3) of the Constitution local authorities' form one of the categories of territorial constituencies for the purpose of elections to the Legislative Council of a State. The electorates of local authorities' constituencies consist of members of the various local authorities specified in the Fourth Schedule to the Representation of the People Act, 1950, in pursuance of section 27 (2) of that Act.

The local authorities in relation to the State of Andhra Pradesh specified in the Fourth Schedule are the following, namely municipalities, zilla parishads, cantonment boards, city and town committees and panchayat samithis. The Government of Andhra Pradesh have proposed the deletion of item No. 4, namely 'City and Town Committees', because under the new municipal law of the State 'City Committees' as a separate category of municipal authority will cease to exist and 'Town Committees' have been abolished on the enforcement on the 18th January, 1964, of the Andhra Pradesh Gram Panchayat Act, 1964.

The local authorities in relation to the State of Mysore specified in the Fourth Schedule also require some amendment. The local authorities in relation to that State are the following, namely municipalities, taluk development boards, cantonment boards, and notified area committees. The Government of Mysore has proposed that 'Town Panchayats' may be added as a new entry in the list in order to enable the members of Panchayat Raj institutions to take part in the elections to the State Legislative Council from local authorities' constituencies. This Bill seeks to effect this amendment.

Then, the Government of West Bengal has also suggested some changes in its list of local authorities in the Fourth Schedule. The list at present comprises—municipalities, district boards, cantonment boards and local boards. 'District Boards' and 'Local Boards' have been replaced respectively by 'Zilla Parishads' and 'Anchalik Parishads'. It has, therefore, been proposed that in the list of local authorities for West Bengal, 'Zilla Parishads' and 'Anchalik Parishads' may respectively be substituted for 'District Boards' and 'Local Boards' The Government of West Bengal has also proposed the addition of a new category of 'Town Committees' to the list as, though 'Town Committees' exist in the District of Cooch-Behar, the members of those committees cannot take part in the elections to the State Legislative Council because 'Town Committees' are not mentioned in the list.

The lists of local authorities of the three States mentioned above as specified in the Fourth Schedule to the Representation of the People Act, 1950 should, therefore, be amended as indicated earlier. As some bye-elections to the various Legislative Councils from local authorities' constituencies have been held up on account

[Shri Jaganatha Rao]

of the lists of the local authorities not being up-to-date, the Election Commission has recommended action to be taken urgently in this behalf. Government agree to this suggestion of the Election Commission.

This Bill seeks to effect these amendments which are of a formal nature. I commend the motion for the acceptance of the House.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved....

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मेरा व्यवस्था का सवाल है । माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, क्या वह उसको बिना कोरम के ही रख सकते हैं ? उन्होंने सारा भाषण बिना कोरम के ही पढ़ा है ।

श्री जगन्नाथ राव : माननीय सदस्य ने पहले आबजेक्शन क्यों नहीं उठाया ? अब तो मैं बोल चुका हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह प्रस्ताव फिर से पढ़ा जाये ।

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being run—

Now, there is quorum.

Motion moved:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration.".

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): This Bill that has been brought forward by the hon. Minister is limited in scope. It relates to the composition of the Legislative Councils in such of the States where they exist, and it relates especially to the constituencies which form the electorate for election to the Council of local authorities.

I would have liked the amendment to the Representation of the People Act to be a comprehensive one in view of the fact that after the introduction of democratic decentralisation, a large number of local authorities have come into existence in various states, although they differ in names, such as zilla parishads, panhcayat samities, anchalik parishads and panchayats. Schedule Four of the Representation of the People Act incorporates the local authorities in various states, the different local authorities in different states. In some of the states, panchayats have been included while in others panchayats have not been included. In some States, town committees which are just like panchayats having a population of 10,000 and more have been included.

This suggests that the whole thing should be reconsidered and the local authorities listed in the schedule should be reviewed and recast in such a manner that in every state practically the same kind of local authorities which are there should be included. But that has not been done. Although this matter relates to the States, on the recommendation of the State Governments, the hon. Minister comes forward here with this amendment. I would suggest that taking into consideration the views expressed by all the State Governments concerned, a comprehensive Bill amending the Fourth Schedule may be brought forward so that the same kind of local authorities in every State may be given representation in the Council. But that has not been done. This Bill relates only to Andhra Pradesh, Mysore and West Bengal. In other States, the same necessity for amendment in this respect exists.

My Bill was circulated for eliciting public opinion. That was with regard to the composition of the Legislative Councils. Some of the States, although they do not agree with the provisions of my Bill, have suggested that some amendments are necessary with regard to the composition of the

Legislative Councils. That was in regard to the local authorities existing there.

Therefore, I would have liked the hon. Minister to have come forward with a comprehensive amending Bill. That has not been done. Still I support the present amending Bill and the provisions contained therein. I would again urge Government to bring forward a comprehensive Bill bringing within its scope for the purpose of representation all the necessary local authorities that have been brought into being after the ushering in of democratic decentralisation.

Shri Warior (Trichur): I have only to make a few observations. In our society in India, new forces have emerged. In order to democratise the entire structure of the Constitution as well as the constitution of the Legislative Councils, more representation should be given to these new forces instead of ploughing the old field.

For instance, formerly the electoral colleges were constituted for all types of graduates. Now that is not enough. The Medical Council of India, for instance, has become an entirely diffierent body; the medical graduates are different from the general run of graduates and require separate representation. So also is the Bar Association. There are other institutions among the educated classes like college professors and teachers and scientific workers. These people should find some representation in the higher Councils of the States wherever bicameral legislatures exist. If it comes to that, I for one will vote for the entire abolition of these Councils, but as long as they are there, these forces must find representation there.

Not only that. In our new economic and social structure, the trade unions are playing a very important role, more important than anybody else in the sections of society. These trade unions also should be given some representation in our Development Councils and other Councils of a semi-official nature or advisory nature. Some of these organisations do get some representation like peasants' organisations or the co-operative societies which is a very big movement. Instead of giving representations to these institutions, the old pattern of giving representation to some chamber of commerce or this and that, which are of an old type, is continued. I do not say that many of them are not in existence, but their function in society is much less now. I have found for instance ,in connection with block developmet committees that old landlords are given representation. They represent only themselves and not many more people. At the same time, if there is a peasant organisation, it is not given representation in place of the other one.

This sort of approach to the problem should go and a new democratic approach must be accepted by Government. For that matter, Government will be well advised to bring forward a comprehensive legislation covering the whole country, which will be acceptable to all the States, changing the entire system of functional representation especially in the Legislative Councils.

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen): It will require amendment of the Constitution.

Shri Warior: Whenever it is advantageous to Government, they can bring forward any amendment to the Constitution; when it is not, the Constitution becomes a big block! The Constitution is only for recording whatever changes take place in society. Government must appreciate that position, apply its mind to it and bring forward some legislation which will satisfy the demand of the people in a developing and changing society.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): This Bill has a very limited object. It is limited only to repre-

[Shri C. K. Bhattacharyya]

sentation for local bodies. Other matters need not be brought into it. I submit that the other matters referred to by Shri S. N. Das and Shri Warior deserve consideration; they may be taken up in a different form and at a different time.

So far as this Bill is concerned, there is one observation I would like to make. In the amendment proposed regarding Andhra Pradesh, the proposal is to omit City and Town Committees. But regarding Mysore and West Bengal, the proposal is to insert Town Committees and Town Panchayats. These two together make rather inconsistent reading. The hon. Minister might explain why Town Committees are being omitted in the case of Andhra Pradesh and why the same Town Committees are being inserted in the case of West Bengal and Mysore. I find it rather difficult to understand. It is not sufficiently explained in the Statement of Objects and Reasons of the Bill why it is omitted in one case and inserted in the other case.

If the Bill is intended to regularise the constituencies of local bodies from which representatives are to be sent to the Upper House, I agree with Shri Shree Narayan Das that as far as possible there should be uniformerly in all the States of India.

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड) : इस बिल में जो तब्दीली की गई है उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । जैसे ग्रांध्र प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटीज, जिला परिषद कैन्टोनमेंट बोर्ड ग्रौर पंचायत समिति हैं उसी दृष्टि से वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ग्रौर लोकल बोर्डस हैं । ऐसी संस्थायें जो हैं वह हर प्रांत में हैं । जैसे ग्रभी महाराष्ट्र में तालुका पंचायत समिति है उसी तरह से ग्रांध्र प्रदेश में पंचायत समिति लिखा है । मतलब यह है कि ग्रगर कौंसिल के लिये वोटर्स बनाने हैं तो एक ही नाम हर प्रांत में हों । मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही है कि बार बार इस को करने के बजाय हर प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिखा जाये कि उनके यहां कौंसिल के जो वोटर्स हैं उनके जो पुराने नाम हैं उनको बदला गया ग्रौर कौंसिल के लिये तालुका बोर्ड वगैरह जो हैं उमकी जगह पर तालुका डेवेलपमेंट बोर्ड बीच में ग्राया, उसके बाद ग्रब उसे तालुका पंचायत समिति कहते हैं । मेरा कहना यह है कि सारे देश में एक सी पालिसी होनी चाहिये । एक कानून हो ग्रौर एक से नाम सब जगह पर होने चाहियें ग्रौर जो बिल ग्राये वह सारे प्रांतों के लिए ग्राये ।

इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को मैं ग्रपना पूर्ण समर्थन देता हूं । इस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस का मैं विरोध कर सकूं । लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ग्राश्चर्य है कि शासन पैच वर्क क्यों करता है । मैं मध्य प्रदेश की बात को ले कर कहना चाहता हूं कि पूरे देश में ग्रब थ्री टायर पंचायतशाही कर दी गई है । थ्री टायर पंचायत में जो होता है वह यह कि पहले हमारे यहां उस को पंचायत परिषद् कहा जाता है, फिर जनपद होता है ग्रौर उस के बाद जिला परिषद् होती है । इन सब को रिप्रेजेन्टेशन कौंसिल में ग्राना चाहिये । इसके बारे में हमारी कोई योजना नहीं है । वास्तव में मध्य प्रदेश में ग्रौर राजस्थान में विधान परिषद् हो जन संघ इस के विरोध में है, लेकिन जब सब जगह विधान परिषद् रक्खी जाती है तो मध्य प्रदेश में उसे क्यों नहीं होना चाहिये यह बात मेरी समझ में नहीं ग्राती है । यदि परिषद् सब जगह बांटी जाती है तो मध्य प्रदेश को भी परिषद् मिलनी चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है ।

यदि शासन का यह कहना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उन को लिखा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि केन्द्र का भी यह कर्त्तव्य है कि यदि कोई स्टेट कांस्टिट्यूशन के खिलाफ काम करती हो तो उस स्टेट को वह खुद लिखे, और मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखना चाहिये था कि वहां पर अपर हाउस क्यों नहीं है। पहले जब मध्य भारत था तब मंडल हुआ करता था, उस का नाम भी इस बिल में नहीं है। लेकिन अभी मैं ने देखा ...

Mr. Deputy-Speaker: When there is no second chamber in Madhya Pradesh, how are you concerned with this Bill?

श्री बड़े: अभी मैंने देखा कि आंध्र प्रदेश को गवर्नमेंट ने लिखा। आंध्र प्रदेश को लिखने के बाद आप व्यवस्था कर रहे हैं।

"West Bengal—"District Boards" and "Local Boards" may be substituted by "Zila Parishads" and "Anchalik Parishads". Also, "Town Committees" may be added to the list."

जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में वैसा करने के लिए आप लिखते हैं वैसे ही हर जगह के लिए आप की जिम्मेदारी है कि आप लिखें कि कांस्टिट्यूशन के अनुसार हर राज्य में काम होना चाहिये, और आप को देखना चाहिये, कि वह संविधान का परिपालन कर रहे हैं या नहीं।

इसलिये मैं चाहता हुं कि मिनिस्टर महोदय इस पर विचार करें। मुझे खुशी है कि हमारे ला मिनिस्टर साहब जो हैं वह स्वयम् संविधान के सब से बड़े संरक्षक हैं। उन को मध्य प्रदेश सरकार को लिखना चाहिये कि दरअस्ल आप के यहां अपर हाउस क्यों नहीं है। जिला परिषद् जो है उस को रिप्रेजेण्टेशन मिलना चाहिये और इस के लिए योग्य स्थान विधान परिषद् हो सकती है या विधान सभा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में लिखें और इस प्रकार का बिल यहां बार-बार लाने के बजाय, जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा, एक कंप्रिहेन्सिव बिल आना चाहिये। मैं कंप्रिहेन्सिव बिल लाने का जोर से समर्थन करता हूं।

15.26 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur): I agree with some of the previous speakers that there should be a comprehensive Bill. It is unfortunate that many Bills are brought before the Parliament in a piece meal manner.

The purpose of the Upper Chamber, as it appears to me, is that it should give representation to certain interests, certain special sections of the society. The amendment here deals with local bodies. There are other sections also. Unless we were clear in our minds as to which sections, what interests, required representation in the Upper House, we could not properly deal with this whole subject.

Differences will arise. Various States from time to time bring amendments in their local bodies Acts. Not only these few States, but others also have made amendments. They will continue to make amendments. If every time amendments are made by the States, a Bill is to be brought before the House, it would be a long process, and we will not know what we are about to do. Therefore, I think that there should be a general provision in the law that wherever State Governments made any amendments, those alterations should automatically be incor-

[Shri A. N. Vidyalankar]

porated in the Act. Or, we should have a committee to go into the whole question. I personally feel that a committee should go into the whole question of the composition of the Upper Houses in the States.

At present, the way in which these Upper Chambers are constituted in the States, they look futile. I know, in certain States people just ridicule them. Practically, there is only duplication of work, and nothing more. I agree, these Upper Chambers can be made useful, and they can have some usefulness of their own, but in order to make them really useful, we should review the whole thoroughly, and provide for and prepare a schedule of all those interests that were fit to be represented.

In certain States I know that all the teachers are voters and had representation, but teachers of the oriental subjects were debarred from exercising that right. In certain other States, certain categories of teachers enjoys those rights, while others do not.

This kind of anomalistic position should be avoided. We should have a thorough review of the whole matter. I agree with some of the Members' who have suggested, for instance that co-operative societies should have representation, industrial workers teachers, universities, etc., should have representation. These are the classes that should have representation and such classes should be included in the schedule. We might leave it to the States and they might suggest to the Centre, so that we may have a comprehensive Bill. If the States want to make changes those changes should be automatically incorporated. Every time a Bill need not be brought over here. Unless we deal with the whole problem in a comprehensive and thorough manner I think it would be a waste of time and energy to have small Bills considered and passed every now and then, in a piece-meal manner. I wish that a comprehensive Bill on these lines after a thorough study should be brought forward. So far as this Bill is concerned, it was stated that it was a formal matter and I do not raise any objections and it should be passed. I think the Minister should not leave the matter here and he should make some steps to bring a more comprehensive Bill in near future and remove the anomalies that have been pointed out in the House.

श्री राम सेवक यादव (बाराबांकी) : अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया कि कुछ प्रदेशों में विधान परिषदों की व्यवस्था है और कुछ में नहीं है, और इस चीज को सामने लाते हुए यह तर्क उपस्थित किया गया कि जिन प्रदेशों में विधान परिषदों की व्यवस्था नहीं है वहां इनकी व्यवस्था की जाये और इस तरह से समस्त देश में एक तरह की व्यवस्था हो जायेगी ।

मैं उसी तर्क को लेकर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों में विधान परिषदों की व्यवस्था नहीं है, अच्छा है और अच्छा हो कि जिन प्रदेशों में उनकी व्यवस्था है उसको समाप्त करके सारे देश में एकरूपता लायी जाये । इस के सम्बन्ध में मेरा एक तर्क यह है कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वे बेमतलब के होते हैं और जो लोग आम चुनावों में हार जाते हैं उनको कहीं न कहीं स्थान देने के लिए ये होते हैं । साथ ही साथ इन अप्रत्यक्ष चुनाओं में जबरदस्त भ्रष्टाचार और पक्षपात होता है और दबाव से ये चुनाव जीते जाते हैं और इसके कई नमूने देश के सामने आ चुके हैं, और मैं भी कुछ मिसालें रखने की कोशिश करूंगा, और चाहूंगा कि मंत्री महोदय कोई ऐसा विधेयक लावें जिससे संविधान में जो यह विधान

परिषदों को बनाने की व्यवस्था है अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिये, उसको समाप्त किया जाए ।

स्थानीय निकायों को इन चुनावों में वोट का हक देने की बात कही गयी । उसी सन्दर्भ में पंचायतों का भी जिक्र आया और उनको वोट का अधिकार देने की बात कही गई । लेकिन हमारे सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिला परिषदों और पंचायतों के चुनावों के नमूने हैं कि जनता के ज्यादा वोटों को कानून की गलियों में फंसाते हुए घटा कर उन्होंने सत्तारूढ़ दल के वर्चस्व को कायम किया है । इसमें ज्यादा और कुछ नहीं किया है । राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों के चुनावों का नतीजा सामने है । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विरोधियों की संख्या डेड़ सौ से भी अधिक है लेकिन एक ही ऐसा जिला है जहां विरोधी जिला परिषद् के अध्यक्ष बन सके और कहीं नहीं बन सके । यही हालत राजस्थान में और दूसरी जगहों पर है । इसी लिए मेरा निवेदन है कि ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं ये बेमतलब के होते हैं और इनको समाप्त किया जाना चाहिये ।

ज्यादा वोटों को भ्रष्ट करना, या उन पर दबाव डालना आदि सम्भव नहीं है, लेकिन जब लाखों वोट घट कर सैकड़ों में रह जाते हैं तो उन पर दबाव भी पड़ सकता है और उनको पैसे से भी खरीदा जा सकता है ।

विधान परिषदों को जाने दीजिये । राज्य सभा में भी कुछ माननीय सदस्य पैसे के जरिये वोटें खरीद कर चुन कर आए हैं । एक दो चुनाव की तो चुनाव याचिका भी चल रही हैं । चूंकि वे मामले अदालत में हैं इसलिये मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता ।

इन सब चीजों को सामने रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो विधान परिषदों के चुनाव के लिए कुछ थोड़े लोगों को वोट का अधिकार देने की बात कही जाती है वह उचित नहीं है । स्थानीय निकाय, सहकार समितियां या पंचायत समितियां स्वयं अप्रत्यक्ष चुनावों से चुन कर आती हैं, वे थोड़े लोगों की नुमायन्दा होती हैं, और वहां थोड़े लोगों के नुमायन्दे आगे चल कर और भी थोड़े लोगों को चुनते हैं । इससे स्थिति बहुत भयावह हो जाती है और इस प्रकार जनतंत्र पर एक तरह से कुठाराघात होता है ।

हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि वहां पर बुनियादी जनतंत्र है और उसका नतीजा यह है कि जनता के बड़े वोटों को कम करके सत्तारूढ़ दल के वर्चस्व को कायम रखा जाता है । वही व्यवस्था इस देश में भी विधान परिषदों में और लोकल बाडीज में हम कर रहे हैं और उसी चीज को ले दूसरे की आलोचना करते है ।

तो इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बजाय इस तरह के रोज कानून बना कर कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दें उनको विधान परिषदों और राज्य सभा आदि संस्थाओं को समाप्त करने का विधेयक लाना चाहिये । इस प्रकार के अप्रत्यक्ष चुनाव बेमतलब के होते हैं और जो लोग काम के नहीं रह जाते और चुनाव में हार जाते हैं उनको स्थान देने के लिए इनका उपयोग होता है । उनके लिए इनको आराम गाह बनाया गया है । मैं ये शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा है । मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और जो कारण मैंने ऊपर दिए उन की वजह से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

Some hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: How much time does the hon. Minister require?

Shri Jaganatha Rao: About ten minutes.

Mr. Chairman: I should like to accommodate all but there is not much time now. It is a short Bill and a short time is allotted. I shall give two or three minutes each.

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : सभापति महोदय, मुझे इस विषय में कुछ ज्यादा नहीं कहना है । मैं तो विधि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज देश में जो केन्द्रित शासन चल रहा है उसको विकेन्द्रित करने की ओर उन्होंने कदम उठाया है । वह आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के चुनाव के लिए टाउन एरिया के सम्बन्ध में बिल लाए हैं और रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपिल्स ऐक्ट में उसके द्वारा संशोधन करना चाहते हैं । इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

लेकिन मेरा यह निवेदन है कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि वह सारे देश के लिए ऐसा एक बिल लाते । अगर वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो सारे देश के लिए उनको ऐसा बिल लाना चाहिये था जैसा कि वह आन्ध्र प्रदेश के लिए लाए हैं । अलग अलग प्रान्त के लिए इस तरह का बिल लाना शोभा नहीं देता । इस लिए मेरा निवेदन है कि बजाय रोज एक ऐसा बिल लाने के सारे देश के लिए एक बिल लावें, जिसके द्वारा सब जगह सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और देश में सब जगह खुशहाली हो ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अधिष्ठाता महोदय, इस बिल का उद्देश्य अच्छा है और इसको मंत्री महोदय अच्छी नीयत से लाए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि इतने छोटे से बिल से देश की समस्याओं का हल कैसे हो सकता है । आज देश में जनतंत्र के लिए जिस जागृति की आवश्यकता है वह नहीं है, न देश में वह एटमासफियर है जिसकी जनतंत्र के लिए जरूरत है । मैं नहीं समझता कि इस हाउस में इस तरह का एक छोटा सा बिल लाने से वह जरूरत कैसे पूरी हो सकती है ।

जिन प्रदेशों में विधान परिषदें नहीं है वहां भी काम चल रहा है, वहां कोई काम अटका नहीं है, वहां कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, वहां शासन खराब नहीं चल रहा । जिन प्रदेशों में विधान परिषदें हैं वहां लोग मिन्नतें मनाते हैं ।

आज देश को जरूरत इस बात की है कि कम से कम खर्चा किया जाए । आज जो लोग इन संस्थाओं में चुन कर आते हैं उनकी काबलियत का कोई स्टेंडर्ड नहीं होता । यहां बारबार जिक्र किया गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और आंचालक कमेटियों का । मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया का कौन सा ला है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि जो एक कालिज का प्रिंसिपल है और जो एम० ए० एल० टी० है, उस ने युनिवरसिटी में रेकार्ड बीट किया है । उसको सोने का तमगा मिला है । उस ने टौप किया है लेकिन उसका कैरेक्टर रोल आकर लिखता है, वह आदमी जो कि दर्जा चार पास है यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेअरमैन और आंचलिक परिषद् का चेअरमैन इनको उसका कैरेक्टर रोल लिखने का हक दे दिया गया है । चार दर्जे पास कर के अपर प्राइमरी पास कर के, कैरेक्टर रोल उस काबिल एम० ए० एल० टी० पास प्रिंसिपल का लिखता है । उसका मुआयना और इंस्पेक्शन लिखेगा दर्जा चार पास व्यक्ति । इसलिये मेरा यह

कहना है कि यह जो सिस्टम है वह ऐड़ी से चोटी तक ग़लत है और हमें इस गलत सिस्टम को बदलना पड़ेगा।

यह बात हमारे जनतंत्र के लिए कोई कम अशोभनीय नहीं है कि यू० पी० के 430 एम०एल०एज० विधान परिषद् के लिए वोट डालने गये जिन में से कि 14 एम० एल० एज० के वोट खारिज हो गये क्योंकि वह ठीक नहीं डाले गये। उन महाशयों को यह पता नहीं था कि निशान दाईं तरफ़ लगाया जाता है या बाईं तरफ़ लगाया जाता है। अब इस तरह से कब तक आप जनतंत्र के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आखिर इस जनतंत्र की खिल्ली आप कब तक उड़ाते रहेंगे? इस बारे में आप को वाक़ई सुधार करना है। अगर आप आज इस बात पर गौर नहीं करेंगे तो दस साल बाद आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। अगर आप इस जनतंत्र को प्योरीफ़ाइड रखना चाहते हैं, उसको पवित्र बनाये रखना चाहते हैं और जो महात्मा गांधी चाहते थे उसे करना चाहते हैं तो आपको यह लाजिम है कि आप ऐसा कानून बनाइये कि शराबी को वोट देने का हक़ न हो, अश्लील सिनेमा देखने वालों को वोट देने का हक़ न हो, करप्शन करने वाले और झूठ बोलने वाले को वोट डालने का हक़ न हो। ऐसा कर के ही आप जनतंत्र को पवित्र रख सकेंगे। मेरी यह बात मुमकिन है आपको विफ़ोर टाइम मालूम देती हो लेकिन गांधी जी जिस जनतंत्र को कायम करना चाहते थे वह आज जनतंत्र कायम नहीं हो सका है। छोटे छोटे बिल इस के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस के लिए एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाइये और जो फालतू लोग पड़े हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ जानते बूझते नहीं हैं और जो वोट भी सही तौर से नहीं डाल सकते हैं उन को लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप का निज़ाम सही होता, आपका जनतंत्र सही चलता तो मैं आप से सच कहता हूं कि मेरा जैसा अयोग्य आदमी यहां नहीं आ सकता था। मैं एक बहुत मामूली तीन बैलों का किसान हूं। नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठने वाला व्यक्ति हूं और झोंपड़े में मैं रहने वाला एक बहुत मामूली इन्सान हूं। मेरे आने का कोई चांस नहीं था अगर आपका अमालनामा स्याह न रहा होता। अगर आपका अमालनामा आगे भी स्याह रहा तो मैं आयन्दा भी आ सकता हूं। लेकिन अगर आपका सुधार हो जाय तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी मुखालफत करूं। आखिर नमक सत्याग्रह में मैं आप के साथ था। डांडी कूच में भी आपके साथ था। सन् 30 और 33 में स्वाधीनता संग्राम में मैंने आप के साथ वर्क किया है, आप के साथ जेल में रहा हूं। मैं ने आप के साथ पब्लिक वर्क किया है। और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सफर किया है। अगर आप अपना सुधार कर लें तो मेरे जैसे आदमियों को कोई जरूरत नहीं है कि वह आपकी मुखालफत करें। लफ्ज मुखालिफ़ यूरोप का दिया हुआ है। हम आप के मुखालिफ़ नहीं हैं बल्कि हम तो आपके शुभचिंतक हैं, वैलविशर हैं और खैरख्वाह हैं। हम आपको सही रास्ता दिखलाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। हम आपके मुखालिफ़ नहीं है। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सरकार एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाये और उस में यह प्राविज़न ज़रूर करे कि यह जो बेकार की एम० एल० सीज० की बौडी बनी हुई है, जिसे कि आप विधान परिषद् कहते हैं उस की कोई जरूरत नहीं है। जब तक देश का प्रत्येक बालिग़ वोट की क़ीमत नहीं समझेगा तब तक आपका यह जनतंत्र कामयाब नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ यह तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि एक कम्प्रेहेंसिव बिल लाया जाय और उस में उचित

[श्री यशपाल सिंह]

परिवर्तन किये जायें । अभी जो 530 मैम्बर्स बैठते हैं उन के स्थान पर केवल 100 मैम्बर्स होने चाहिए । वे 100 मैम्बर्स जब पार्लियामेंट बैठती है, बजट सैशन या विंटर सैशन होता है, तो उस में आकर वे काम करें। उन की कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए । उन का कोई टी० ए०, डी० ए० नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय : आप बिल के बारे में कुछ कहिये । अभी जो आप कह रहे हैं वह मौजूदा बिल से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : बिल के बारे में ही मैं अर्ज कर रहा हूं कि सरकार एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाये । मेरा कहना है कि आपने जिला परिषदों और आंचलिक परिषदों आदि को जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस से और ज्यादा नुकसान होगा । जब तक आप यह क़ानून नहीं बनायेंगे कि जिसको अधिकार दिया जाता है जिसको सम्मान दिया जाता है, जिसे इज्जत दी जाती है, आदर दिया जाता है, उसको तन्ख्वाह नहीं मिलनी चाहिये तब तक सच्चा जनतंत्र देश में स्थापित नहीं हो सकता है । ऐसे सम्मानित व्यक्तियों का तन्ख्वाहें लेना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है । जो अधिकार आप टाउन कमेटीज, जिला परिषदों और आंचलिक परिषदों को दे रहे हैं वह अधिकार आप उस वक्त दीजियेगा जब उन लोगों के लिए यह क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दी जाय कि वे कम से कम ग्रेजुएट अवश्य हों । ग्रेजुएट व्यक्ति ही इन परिषदों के सभापति बन सकें ।

Mr. Chairman: I must call you to order. It is quite irrelevant. There is not much time. This Bill must be passed before 4 O'clock. Shri Radhe Lal Vyas.

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य केवल यह है कि कुछ राज्यों में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की लिस्ट्स में जो परिवर्तन हुए हैं उन के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट को मोडिफ़ाई कर के अप-टुडेट बनाना है । इसी उद्देश्य को सामने रखकर यह संशोधन विधेयक सदन् के सामने लाया गया है । इस में किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि अभी तक कुछ राज्यों में जो कुछ परिवर्तन जरूरी करने चाहिए थे वे क्यों नहीं किये जा रहे हैं ? जैसे कि संविधान में यह प्राविज़न है कि मध्य प्रदेश में लैजिस्लेटिव कौंसिल रहेगी तो अभी तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधित क्यों नहीं किया गया? अब उस के लिए यह जवाब हो सकता है कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं चाहती । अब वह न भी चाहे लेकिन पीपुल्स रिप्रैजेंटेशन ऐक्ट को संशोधित कर के उस में उसका समावेश करने में कौन सी आपत्ति है ?

कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि इस पर विचार किये जाने की जरूरत है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल का जिस तरीके से निर्माण होता है, जिस तरीके से प्रतिनिधित्व उस में होता है, आज के युग में जब कि हमारा संविधान बन कर सन् 1950 से लागू हुआ था तो उस के बाद में काफ़ी परिवर्तन हुए । लेबर यूनियंस, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ और पंचायतों को काफ़ी अधिकार मिले हैं । और भी कई फील्ड्स में साइंटिस्ट्स, टैकनिकल पर्सनल आदि लोगों के लिए असेम्बली है । लेजिस्लेटिव कौंसिल के उद्देश्य का ही कुछ हमारे मित्रों ने विरोध किया है वह मेरी समझ में नहीं आता । अगर जनतंत्र को हमें देश में चलाना है तो लेजिस्लेटिव कौंसिल जनतंत्र के लिए

बहुत जरूरी है । अब हर आदमी आम चुनाव में खड़ा होना पसन्द ही नहीं करेगा और आम चुनाव लड़ना हर आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल भी होगा इसलिए कुछ ऐसे आदमी जो विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष योग्यता किन्हीं क्षेत्रों में रखते हैं और जिनको कि ऐक्सपर्ट ओपीनियन की बड़ी जरूरत होती है ऐसे लोगों को जनतंत्र में मौक़ा मिलना चाहिए ताकि वे अपने अनुभव और ज्ञान का लाभ देश को दे सकें और ऐसे लोगों के लिए ही यह लेजिस्लेटिव कौंसिल बनी हुई हैं । जनतंत्र खर्चीला जरूर होता है लेकिन यह बहुत आवश्यक होता है, कि सभी देश के लोगों की और सभी हितों की राय से, सलाह मशविरे से, देश का कामकाज चले और शासन व्यवस्था चले इसलिए यह लेजिस्लेटिव कौंसिल रक्खी गयी गयी है । इसलिए मेरे कुछ मित्रों ने जब लेजिस्लेटिव कौंसिल का विरोध किया है तो वह मेरी समझ में नहीं आता है । जनतांत्रिक ढांचे में यह आवश्यक है कि यह लेजिस्लेटिव कौंसिल रहें और इसकी व्यवस्था खूब सोच विचार के बाद की गई थी ।

Mr. Chairman: I would like to tell the hon. Member that we are covering a much wider field than what is relevant to the Bill.

Shri Radhe Lal Vyas: It is the suggestion to the Government that they should examine the question from the different points of view which have been advanced here. With these words, I close.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोदय यह लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन विधेयक) में इस बात का विधान किया गया है कि जिन राज्यों में वोट देने की पावर्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और जिला परिषदों और दूसरी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को प्राप्त नहीं है उनको भी वोटर बनाया जाय । लेकिन जैसा कि माननीय रामसेवक यादव ने कहा है मेरी समझ में लेजिस्लेटिव कौंसिल की कोई जरूरत नहीं है । अभी व्यास जी ने यह तर्क उठाया कि उसमें कुछ खास जानकार लोगों को रखा जाय तो मेरा कहना है कि वह नौमिनेशन का प्राविज़न अलरैडी बिल में मौजूद है । किसी खास कला तथा विद्या आदि के जो जानकार लोग हैं उनको नौमिनेट किया जाता है......

श्री राधेलाल व्यास : लेजिस्लेटिव कौंसिल में ही तो उन्हें रखा जाता है ।

श्री सरजू पाण्डेय :: लेजिस्लेटिव कौंसिल और राज्य सभा दोनों में किया जाता है ।

श्री राधेलाल व्यास : लेकिन आप जो यह लेजिस्लेटिव कौंसिल खत्म करने को कहते हैं तो फिर उनका नौमिनेशन कैसे होगा ?

एक माननीय सदस्य : लोक सभा में नौमिनेट कर दीजिये ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि जैसा कि श्री रामसेवक यादव ने बतलाया है कि अगर इन सब का वोट कर दिया जाता है तो इनडाइरैक्ट इलैक्शन में रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होता है । कभी कभी रूलिंग पार्टी भी इस मामले में हार जाती है और आमतौर से गुंडे लोग इस तरह के वोटरों पर कब्जा करते हैं और उनको बन्द करके वोट दे देते हैं । कानपुर के मेयर के एलेक्शन में ऐसा हुआ है जहां पर एक दल ने रुपया ले कर बेचा ? पूरी राजनीति करप्ट होती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इनडाइरैक्ट एलेक्शन को चाहे वह जिला बोर्डों के हों चाहे वह लेजिस्लेटिव कौंसिल के हों और चाहे वह विकास समितियों के

[श्री सरजू पाण्डेय]

हों इन सारे इनडाइरैक्ट एलेकशंस को समाप्त कर दें । अगर आप उनको रखना ही नहीं चाहते हैं और वाक़ई में बिल्कुल मुखालिफ़ हैं कि लेजिस्लेटिव कौंसिलों को रखा जाय लेकिन अगर उनको आपको रखना ही पड़ता है तो उनका भी एलेक्शन डाइरैक्ट होना चाहिये । इस तरीक़े का प्राविज़न पीपुलस रिप्रज़ेंटेशन ऐक्ट में लाया जाय ताकि यह दिक्कतें और भ्रष्टाचार रुके । नहीं तो यह होगा कि राजस्थान, यू० पी० और दूसरे प्रदेशों की तरह एम० एल० एज़० और अन्य संस्थाओं के मेम्बरों के वोट खरीदे जायेंगे । मुझे मालूम है कि राज्य सभा के एक सदस्य ने एम० एल० एज़० के वोट खरीद लिए । जो मामूली टाउन एरिया कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ के मेम्बर होते हैं, वे तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन एम० एल० एज़० और एम० पीज़० भी खरीदे जाते हैं । अगर यही व्यवस्था चलती रही तो पूरी राजनीति भ्रष्ट होगी ।

मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बिल को वापस लें । अव्वल तो लेजिस्लेटिव कौंसिल्ज़ को खत्म ही कर देना चाहिए, लेकिन अगर उनको रखना ही है, तो उनके चुनाव इनडायरेक्ट नहीं कराने चाहिए, बल्कि डायरेक्ट कराने चाहिए, ताकि जो लोग उन में आयें, उन को भी जनता की सेवा करने का मौका मिले, वर्ना आज तो उनकी कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है—थोड़े से आदमियों को पकड़ कर वोट ले लिए और फिर छ: साल मज़े में बैठे रहे इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाये और नये बिल में ऐसा प्राविज़न रखा जाये कि लेजिस्लेटिव कौंसिल्ज़ के मेम्बरों का चुनाव डायरेक्ट हो ।

श्री कृ० कु० वर्मा (सुल्तानपुर) : सभापति महोदय, सदन के सामने जो बिल लाया गया है, उसका दायरा बहुत ही महदूद है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इसको विस्तार देना चाहा । मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, उस को दृष्टि में रखते हुए उस विस्तार के लिए इन्तज़ार नहीं किया जा सकता था, जैसा कि कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं । इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आवजेक्टस एंड रीज़न्ज़ में बहुत साफ़ तौर पर लिखा है:—

> "Unless the lists of these local authorities are kept up-to-date, there are difficulties in the holding of bye-elections from the local authorities' constituencies."

यह कहा गया है कि हम इस बात की इन्तज़ार करें कि एक बहुत कम्प्रिहेंसिव बिल इस सदन में लाया जाये, लेकिन यह बीच में जो बाई-इलेक्शन्ज़ की बात आ जाती है, उसकी वजह से इन्तज़ार नहीं किया जा सकता है । मैं नहीं समझता कि कहां तक यह बुद्धिमानी का परिचय होगा कि हम एक काम्प्रिहेंसिव बिल की इन्तज़ार करें और जो संस्थायें अब नहीं रह गई हैं, जो एबालिश और आब्सोलीट हो गई हैं, वे भी कायम रहें और वे बाई-इलेक्शन के वक्त रास्ते में हायल हों और उन की वजह से दिक्कतें पैदा हों । इसलिये जो संस्थायें, जो लोकल एथारिटीज़ अब नहीं रह गई हैं, उन के बजाये जो दूसरी संस्थायें कायम हो गई हैं, उन का भी इस एन्ट्री में आ जाना बहुत ही ज़रूरी है, वर्ना बाई-इलैक्शन्ज़ नहीं हो सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि इस संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और इस को जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए था । जिस महदूद दायरे में यह बिल लाया गया है, वह बहुत ही आवश्यक है और माननीय सदन को इसे जल्द से जल्द पास करना चाहिए ।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): While discussing this

Bill, I would like to refer to the non-official Bill moved by Shri Shree Narayan Das here, which was held up for want of quorum. It refers to the composition of the Councils in general. This Bill is restricted to certain States where by-elections are coming. I feel it is high time Government came forward with a comprehensive Bill about the composition of the councils in various States.

After the framing of the Constitution, new labour unions, cooperative institutions, etc. have sprung up, which also deserve proper representation in the councils. Certain qualifications are laid down in the Constitution itself for nomination to the councils and Rajya Sabha, but it is never done in accordance with those qualifications; it is usually done in a partisan spirit, with the result that the real intentions of the framers of the Constitution are not fulfilled.

Also, it was never meant that members are nominated to the councils or Rajya Sabha and then they are made full-fledged Cabinet ministers. How can they be responsible to the electorate? This should be considered. When the non-official Bill of Mr. Shree Narayan Das is pending, which refers to the various changes with regard to the composition of councils in general, it would be more proper for Government to come forward with a comprehensive and detailed scheme and do some rethinking about the composition of the councils to give effect to the real intentions of the Constitution-makers. I say this because there has been a regular misuse of the provisions on account of indirect election and lot of corruption also. Sometimes, voters were actually purchased and even members nominated on Congress tickets got defeated on account of underhand dealings. It is prejudicial to the ruling party and the nation as a whole. So, even if Government think that the councils and Rajya Sabha should be allowed to exist, their composition should be reconsidered and proper representation should be given to co-operative societies, labour unions, etc. which have sprung up during the last 15 years.

I do appreciate that this particular Bill is necessitated on account of the by-elections which are taking place and on account of those organisations which are no more in existence. But I reiterate my suggestion that Government should do some rethinking about this matter and come forward with a comprehensive Bill.

Shri A. K. Sen: Sir, I am very thankful for the almost unanimous support which has come from all sections of the House for this Bill. Its purpose is very limited. I hope that is appreciated before we are called upon to discuss wider subjects. The purpose is limited, namely, to provide for those units in the local authorities in various States which have now been abolished by local laws and in whose places other units have been set up. We have to bring into the picture those new units because the old units are not functioning at all.

The question of a comprehensive Bill does not arise, because as and when State laws create new units in the body of local autonomy and abolish old ones, we have amended the law. In 1963 we amended the fourth schedule by incorporating for Madras and other States new panchayats and other bodies set up by local laws. These States have set them up later and therefore we had to bring this Bill. That is the only purpose, because elections have to be held and other arrangements have to be carried through.

I am always envious of Mr. Yashpal Singh for the great knack he has of elevating any subject however ordinary it may be, from the mundane world into the much higher atmosphere, reminding us of perfect men, perfect electorates, perfect representatives without any vice whatsoever, with no ordinary failures, not people like us, but all people like Mr.

[Shri A. K. Sen]

Yashpal Singh. Then I am afraid the House will have only one man Mr. Yashpal Singh—and no other. But those are much wider questions into which I do not think it is either the occasion or the proper thing to go. Let us leave those wider objects for other occasions to discuss. There is no doubt that there are many improvements which may be made into the whole mechanism of electing representatives, but I doubt very much if that improvement can be achieved only by changing the law. That I have said repeatedly.

16 hrs.

I do not think our laws need much change, to be quite frank. In fact, they are model laws for the rest of the world and many countries have adopted them as model laws. Even our machinery, with all the deficiencies which are inherent in running an election involving 200 millions of voters, has stood the test of time and it has given to this country a system of election based on universal adult franchise which is not only a marvel for this country but a marvel for the rest of the world. Many people have expressed their admiration, outside our country, at the way we have done our elections, the impartiality which we have maintained, the fairness which we have ensured and the way in which electors have gone into their booths un-hampered by any violence or force and un-interfered with by religious or other passions which we have made illegal

In any event, if there are any further deficiencies in the law itself, about which I am not quite sure, it should be attended to. But this is not the proper occasion because we have to think of it in other contexts when proper legislation is introduced or contemplated. This is a particular, very small, non-controversial matter that the schedules have become out of date because local authorities have changed, new bodies have come up and old bodies have disappeared. Therefore, when we have to conduct elections to the legislative councils we might bring in these new bodies and delete the old units which are no longer functioning. This is the only purpose, I hope it will be appreciated, and therefore there will be no difficulty in understanding the object of this legislation.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: We shall now take up the Bill clause by clause. There are no amendments. Therefore, the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Jaganatha Rao: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Chairman: Motion moved.

"That the Bill be passed."

Shri C. K. Bhattacharyya: Sir, while the Bill is being passed, I have again to raise the same query which I raised in the beginning and which remain unclarified even now. I want to know why in the case of Andhra Pradesh the City and Town Committees are being omitted and why the same are being substituted in the case of West Bengal and Mysore. If the City and Town Committees are essential parts of the local authorities and if they are required in one part of India, in one State, I believe the same should be included in other States and other parts of India too. This is not, as I pointed out to you, explained in the Statement of Objects and Reasons,

why this difference is growing between State to State in the matter of composition of constituencies to the Upper House for election from local authorities. I expected that while the hon. Minister spoke he would throw some light on the question that I raised, but, shall I say, that I have not yet got the light which I expected from him.

Shri A. K. Sen: I thought that what I said applied in each particular case, that we are bringing in only those units which have been set up and deleting those units which have been demolished by the respective local laws. The answer, I thought, was obvious. In Andhra Pradesh city and town committees no longer exist under the law which has set up other committees and in Mysore new units have come in, named town panchayats. Therefore we are inserting them. In West Bengal in the place of district boards the local laws have set up zila parishads; therefore, zila parishads have to be substituted. In place of local boards they have substituted *anchalik parishads* and town committee; therefore, they have to be substituted. The reason is obvious. Since different States have not followed the same pattern nor the same terminology for the respective local authorities that they have set up the differences must necessarily persist.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.07 hrs.

SEEDS BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): Sir, on behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to move:

> "That the Bill to provide for regulating the quality of certain seeds for sale, and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Bade (Khargone): Sir, I want to raise a point of order. We received the copies of the Seeds Bill but there is no financial memorandum accompanying the Seeds Bill. According to rule 69 on page 36 of the Rules of Procedure:—

> "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

The Bill was introduced in the Rajya Sabha.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): It was circulated to hon. Members here also.

Shri Bade: The financial memorandum may be there to the Bill introduced in the Rajya Sabha; but it is not here. There is no memorandum attached to this. So we cannot discuss the recurring and non-recurring expenditure that will be incurred in its administration. We have also to discuss the expenditure which the Government will incur on appointing seed inspectors, seed analysts and laboratories and in order to discuss that and criticize the whole thing, we must have the full memorandum of the expenses which the Government will incur. So, I think that unless and until that financial memorandum is given to us, we cannot fully criticize the Bill here. We cannot give our opinion also without having the full financial memorandum of the expenses which the Government is going to incur. It is as sure as anything that if the Seeds Bill is passed, the Government will appoint seed inspectors, seed analysts and also the laboratories. So, my submission is that according to rule 69 the financial memorandum ought to have been attached to this Bill so that this House could criticize the Government and give its opinion regarding the expenditure that is going to be incurred.